रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2015/कार्तिक 13, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 135
No. 147] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015/KARTIKA 13, 1937 [N.C.T.D. No. 135

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2015

सं.फा. 6(17)/2009–न्या0/Suptlaw/1176-1178.– गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या एस ओ 183(अ) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 312 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली फौजदारी अदालत (शिकायतकर्त्ता एवं गवाहों को व्यय का भुगतान) नियमावली, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातों या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली महानगर क्षेत्र की फौजदारी अदालत के समक्ष किसी पूछताछ, जांच या अन्य प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत होने वाले शिकायतकर्त्ता तथा गवाह को व्यय के भुगतान को नियमित करने के लिए निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभ :–(i) ये नियम "दिल्ली फौजदारी अदालत" (शिकायकर्त्ता एवं गवाहों को व्यय का भुगतान) नियम, 2015 कहलाएंगे।

(ii) सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषाः**– इन नियमों में जब तक, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "फौजदारी अदालत" का अर्थ है सत्र न्यायालय, मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत, अपर मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, महानगर दण्डाधिकारी तथा विशेष दण्डाधिकारी।

(ख) "संहिता" का अर्थ है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

(ग) "जिला न्यायाधीश" का अर्थ है दिल्ली में सिविल जिला के जिला न्यायाधीश।

(घ) "सरकार कर्मचारी" का अर्थ है और उसमें सम्मिलित है केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या किसी राज्य सरकार या कोई सार्वजनिक प्राधिकार या निगम या स्वायत्त संस्था के अधिकारी/कर्मचारी।

(ङ) "सरकार" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

(च) "वास्तविक व्यय" का अर्थ है उसके वास्तविक यात्रा व्यय तथा खुराक राशि के अलावा गवाहों को आय की क्षति के मुआवजे के संबंध में भुगतान।

(छ) इन नियमों में प्रयुक्त कोई शब्द या वाक्यांश और इसमें परिभाषित नहीं किया गया है उसका वही अर्थ होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उल्लिखित है।

अध्याय–2

व्यय का भुगतान

3. **मामले जिसमें सरकार को व्यय का भुगतान करना है:–** सरकार केवल निम्न मामलों के संवर्ग में शिकायकर्त्ता तथा गवाहों को व्यय का भुगतान करेगी:–

(क) उन सभी मामलों में जिसमें फौजदारी अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी ओर से संहिता की धारा 311 के अंतर्गत अदालत आने के लिए गवाह को बाध्य किया गया हो;

(ख) उन सभी मामलों में जहां पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जाना हो; तथा

(ग) उन सभी मामलों में जहां संस्थान अभियोजन है या आदेश के अंतर्गत या द्वारा या सरकार की स्वीकृति से या किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी या अन्य कोई सार्वजनिक अधिकारी।

व्याख्या : शिकायतकर्त्ता को केवल तभी व्यय का भुगतान किया जाएगा जब उसे गवाह के रूप में बुलाया जाए।

4. **ऐसे मामले जहां सरकार द्वारा व्यय नहीं दिया जाएगा:–** नियम 3 के अन्तर्गत आने वाले मामलों के अलावा सभी मामलों में सरकार द्वारा गवाहों को भुगतान नहीं किया जाएगा, बशर्ते अभियोजन सार्वजनिक न्याय के हित में सहायता हेतु प्रस्तुत हुआ हो।

अध्याय–3

व्यय के भुगतान की दर

5. **गवाहों का संवर्ग:–** गवाहों के निम्न संवर्ग नीचे दिए गए हैं:–

गवाहों के संवर्ग:–	
(क)	किसी भी वर्ग का सार्वजनिक गवाह
(ख)	सरकारी कर्मचारी
(ग)	विशेष गवाह जैसे– न्यायिक विशेषज्ञ, डॉक्टर, इंजीनियर, वास्तुकार, वकील इत्यादि, जो सरकारी नौकरी में न हों।

6. **गवाहों के प्रत्येक संवर्ग के लिए उचित भत्ते की दरें:–**

(i) संवर्ग (क) के लिये— उसे कुशल कामगार के समतुल्य न्यूनतम वेतन की राशि का भुगतान किया जाएगा जैसाकि सरकार द्वारा नियम 9 के अनुसार खुराक के लिए व्यय तथा नियम 7 के अनुसार उचित यात्रा व्यय तथा आय की क्षति के संबंध में अधिसूचित है।

नोट:– कुशल कामगार के लिए न्यूनतम मजदूरी 285 रुपये है जैसाकि सरकार द्वारा 01 फरवरी, 2011 को अधिसूचित किया गया है।

(ii) संवर्ग (ख) के लिए—– उसे नियम 7 के अनुसार वास्तविक यात्रा व्यय तथा नियम 9 के अनुसार खुराक हेतु व्यय दिया जाएगा।

(iii) संवर्ग (ग) के लिए —– उसे नियम 7 के अनुसार आय एवं वास्तविक यात्रा व्यय की हानि के लिए 500 रुपये की राशि तथा नियम 9 के अनुसार खुराक के लिए व्यय दिया जाएगा।

7. **यात्रा दरः—**

(क) आउट स्टेशन के गवाह :—

(i) **रेलगाड़ी द्वारा यात्रा :—**

(क) संवर्ग (क) के लिए — उनके निवास स्थान से दिल्ली तक का वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के अलावा दिल्ली में नजदीकी रेलवे स्टेशन से संबंधित न्यायालय परिसर तक का ऑटो रिक्शा प्रभार, सरकार द्वारा प्रचलित अधिसूचित दर।

(ख) संवर्ग (ख) के लिए— उनकी नौकरी की प्रकृति के लिए शासित नियमों के अंतर्गत उनकी पात्रता के अनुसार उनके कार्यालय स्थल से उचित यात्रा व्यय।

ऐसे व्यक्ति को विभाग के प्रधान या सक्षम प्राधिकारी से उसके लिए अनुमत यात्रा भत्ता की प्रकृति का अपेक्षित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा; और

(ग) संवर्ग (ग) के लिए— उसके निवास स्थान से दिल्ली तक का वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का किराया और इसके अलावा दिल्ली में नजदीकी रेलवे स्टेशन से संबंधित न्यायालय परिसर तक का टैक्सी प्रभार।

(ii) **सड़क द्वारा यात्राः—**

(क) संवर्ग (क) के लिए— सड़क परिवहन/राज्य परिवहन की वातानुकूलित बस द्वारा यात्रा के लिए दिया वास्तविक किराया के अलावा दिल्ली में नजदीकी बस स्टैंड से संबंधित न्यायालय परिसर तक सरकार द्वारा अधिसूचित उचित दर पर ऑटो रिक्शा प्रभार;

(ख) संवर्ग (ख) के लिए— उनकी नौकरी की प्रकृति के लिए शासित नियमों के अंतर्गत पात्रता के अनुसार वास्तविक यात्रा व्यय। ऐसे व्यक्ति को विभाग के प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी से पात्र एवं अनुमत यात्रा भत्ता के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा; और

(ग) संवर्ग (ग) के लिए— ए/सी डीलक्स कोच के लिए सड़क परिवहन/राज्य परिवहन बस द्वारा चार्ज किए गए किराए के समतुल्य किराया के अलावा नजदीकी बस स्टैंड से संबंधित न्यायालय परिसर से उचित टैक्सी प्रभार जोकि सरकार द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार होगा।

(iii) **हवाई जहाज द्वारा यात्रा :—**

(क) संवर्ग (क) के लिए— कोई हवाई यात्रा का किराया देय नहीं है;

(ख) संवर्ग (ख) के लिए— उनकी नौकरी की प्रकृति के अनुसार शासित नियमों के अंतर्गत उनकी पात्रता के अनुसार वास्तविक यात्रा व्यय। ऐसे व्यक्ति को विभाग के प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी से पात्र एवं अनुमत यात्रा भत्ता के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा; और

(ग) संवर्ग (ग) के लिए— कोई हवाई यात्रा किराया देय नहीं है।

(ख) स्थानीय गवाहः—

(iv) **शहर के अंदर यात्राः—**

(क) संवर्ग (क) के लिए— सरकार द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार वास्तविक ऑटो रिक्शा प्रभार;

(ख) संवर्ग (ख) के लिए— उनकी नौकरी की प्रकृति के लिए शासित नियमों के अंतर्गत पात्रता के अनुसार वास्तविक यात्रा व्यय। ऐसे व्यक्ति को विभाग के प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी से पात्र एवं अनुमत यात्रा भत्ता के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा; और

(ग) संवर्ग (ग) के लिए— कार/टैक्सी के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वास्तविक यातायात व्यय।

नोट 1:— यदि एक व्यक्ति ने वास्तव में वातानुकूलित रेल या वातानुकूलित बस से यात्रा नहीं की है, तो मूल टिकट या उसकी प्रति की प्रस्तुति पर वास्तविक किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नोट 2:— यदि गवाह ने किसी अन्य प्रकार के वाहन से यात्रा की है और ऑटो रिक्शा/टैक्सी से कम व्यय हुआ है तो उसे कम व्यय हुई राशि का ही भुगतान किया जाएगा।

8. **रात को ठहरने की दरें:—**

(क) संवर्ग (क) के लिए— अदालत में गवाह के प्रस्तुत होने के प्रथम दिन को छोड़कर 750 रुपये प्रति दिन।

(ख) संवर्ग (ख) के लिए— (i) अदालत में गवाह के प्रस्तुत होने के प्रथम दिन को छोड़कर राजपत्रित अधिकारी या उसके समतुल्य में कार्यरत अधिकारी के लिए 1500 रुपये प्रतिदिनः

(ii) अदालत में गवाह के प्रस्तुत होने के प्रथम दिन को छोड़कर अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 750 रुपये प्रतिदिन।

(ग) संवर्ग (ग) के लिए--- अदालत में गवाह के प्रस्तुत होने के प्रथम दिन को छोड़कर 1500 रुपये प्रतिदिन

नोट:– संवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के लिए--- यह राशि अन्य राशि के अतिरिक्त होगी जोकि उन पर लागू होगी कि उनका साक्ष्य एक दिन में पूरा हो गया है और उन्हें रूकने की आवश्यकता नहीं है।

9. **भोजन के लिए व्यय**:– गवाहों को निम्न दरों पर भोजन हेतु किए गए खर्च का भुगतान किया जाएगा, चाहे वे किसी भी संवर्ग के हों:–

(क) यदि गवाह को लंच तक रोका जाता है या उसे न्यायालय में लंच के बाद बुलाया जाता है; 50 रुपये

(ख) यदि गवाह को लंच के बाद तक रोका जाता है बशर्ते गवाह को लंच के पूर्व वाले सत्र में बुलाया गया हो। 100 रुपये

10. **पुलिस गवाही के लिए व्यय**:– अदालत द्वारा प्रतिपूर्ति के आदेश करने से पूर्व संबंधित पुलिस स्टेशन के एस एच ओ/अपर एस एच ओ द्वारा प्रमाणित के अनुसार मालखाना मोहरार द्वारा दावा किए वास्तविक व्यय।

11. **सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों या अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यय**:– ऐसे गवाह जो सरकारी नौकरी के दौरान उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के संबंध में सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में प्रस्तुत होते हैं तो उन्हें उसी प्रकार व्यय का भुगतान किया जाएगा।

12. **नाबालिग/विकलांग परिचर के लिए व्यय**:– जब छोटी उम्र के नाबालिक या विकलांग व्यक्ति का गवाह के रूप में अदालत में आना जरूरी होता है और गवाह अकेले यात्रा नहीं कर सकते हैं तो नाबालिग या विकलांग व्यक्ति के साथ आने वाले परिचर को भी किराए का भुगतान किया जाए क्योंकि वे भी मामले में गवाह हैं।

अध्याय–4

विविध

13. **व्यय का भुगतान करते समय अदालत की ड्यूटी**:– अदालत की यह ड्यूटी है कि किसी भी शिकायतकर्त्ता या गवाह को व्यय के भुगतान में किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत न हो जिसके लिए नियमों के तहत वे पात्र हैं। अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि अदालत में साक्ष्य रिकार्ड होने के तुरंत बाद बिना किसी विलंब के गवाह को भुगतान का वाउचर सौंपा जाए।

14. **विवेक द्वारा उदार नीति का पालन**:– संदेहास्पद मामलों में या ऐसे मामलों में जहां यह स्पष्ट न हो कि गवाह ने कितनी दूरी की यात्रा की है तो पीठासीन अधिकारी अपनी जानकारी या स्वयं से या स्वयं के विवेक से अनुमान लगाकर गवाह को भुगतान कर सकता है और यह निर्णय वह स्वयं ले सकता है।

15. **जहां गवाह को रात रूकने के लिए कहा गया है, उचित मामलों में ही अग्रिम भुगतान किया जाए**:– इन नियमों के अधीन, उचित मामलों में, जहां गवाह का साक्ष्य प्रगति पर है और गवाह को अपने साक्ष्य या निरंतरता के लिए रात को रूकने की आवश्यकता है तो अदालत अगले दिन रूकने के लिए ऐसे गवाह को अग्रिम भुगतान कर सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के

उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

विक्रांत वैद, अतिरिक्त–सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2015

No.F.6/17/09-Judl./ Suptlaw/1176-1178.—In exercise of the powers conferred by section 312 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) read with Government of India, Ministry of Home Affairs' notification number S.O.183 (E) dated the 20th March, 1974 and in supersession of the Delhi Criminal Courts (Payment of Expenses to Complainant and Witnesses) Rules, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules to regulate the payment of expenses paid to complainant and witnesses appearing, for the purpose of any enquiry, trial or other proceedings before a criminal court in the Metropolitan area of Delhi, namely: -

Chapter I
Preliminary

1. **Short title and commencement : -**
   (i) These rules may be called the "Delhi Criminal Courts (Payment of Expenses to Complainant and Witnesses) Rules, 2015".
   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions:** - In these rules unless the context otherwise requires:-
   (a) 'Criminal Court' means the Court of Sessions, Court of Chief Metropolitan Magistrate, Additional Chief Metropolitan Magistrate, Metropolitan Magistrate and Special Magistrate.
   (b) 'Code' means the Code of Criminal Procedure, 1973.
   (c) 'District Judge' means the District Judge of a Civil District in Delhi.
   (d) 'Government Servant' means and includes officers/officials in the service of Central Government, National Capital Territory of Delhi or any State Government or any public authority or corporation or autonomous institutions.
   (e) 'Government' means Government of National Capital Territory of Delhi.
   (f) 'Reasonable expenses' means payment towards compensation of loss of income of the Witness besides his actual travelling expenses and diet money.
   (g) Any word or expression used in these rules and not defined herein shall have the same meaning as assigned to it, in the Code of Criminal Procedure, 1973.

Chapter 2
Payment of Expenses

3. **Cases in which Government is to pay the expenses :-** The Government would be liable to pay expenses of Complainants and Witnesses only in the following categories of cases: -

(a) in all cases in which a witness has been compelled by the Presiding Officer of a Criminal Court on his own motion to attend the court under section 311 of the Code;

(b) in all cases where cognizance has been taken by the Police; and

(c) cases in which the prosecution is instituted or carried on by or under the orders or with the sanction of the Government, or of any Judge, Magistrate, or any other public officer.

Explanation: The complainant shall be paid the expenses only when he is summoned as a witness.

4. **Case in which Government is not to pay expenses: -** No Payment shall be made to the witnesses by the Government in all cases other than covered by rule 3, unless the prosecution appears to be in furtherance of the interest of public justice.

Chapter 3
Rate of Payment of Expenses

5. **Category of Witnesses:** - The following category of witnesses is given below: -

Category of Witnesses: -	
(A)	Public witnesses of any class
(B)	Government servants
(C)	Expert witnesses such as Forensics Experts, Doctors, Engineers, Architects, Lawyers etc., who are not in the service of Government.

6. **Rates of reasonable allowances for each category of witnesses:**
   (i) for Category (A) – S/he shall be paid a sum equivalent to the minimum wages payable to a skilled worker as notified by Government towards loss of income and actual travelling expenses as per rule 7 and expenses for diet as per rule 9.
   Note: - The minimum wages payable to a skilled worker as notified by Government from 1st February of 2011, is Rs.285/-
   (ii) for Category (B) – S/he shall be paid actual travelling expenses as per rule 7 and expenses for diet as per rule 9.

4708 DG/15-2

(iii) for Category (C) -- S/he shall be paid a sum of Rs.500/- towards loss of income and actual travelling expenses as per rule 7 and expenses for diet as per rule 9.

7. **Travel Rates : -**

(A) **Outstation Witnesses: -**

(i) **Travel by train : -**

(a) for category (A) - A/C three tier from the place of their residence to Delhi, in addition to the subsequent auto rickshaw charges from the nearest railway station in Delhi to the concerned court complex, as per prevalent rates notified by the Government;

(b) for category (B) - Actual travelling expenses from the place of their office as per their entitlement under the rules governing their nature of service.
Such person will be required to produce a certificate from his/her Head of Department or Competent Authority as to the nature of travelling allowance admissible to him/her; and

(c) for category (C) - A/C two tier fare from their place of residence to Delhi in addition to the subsequent taxi charges from the nearest railway station in Delhi to the concerned court complex.

(ii) **Travel by road : -**

(a) for category (A) - fare actually paid for travel by road transport / state transport A/C bus, in addition to the subsequent auto rickshaw charges from the nearest bus stand in Delhi to the concerned court complex as per prevalent rates notified by the Government;

(b) for category (B) - actual travelling expenses as per their entitlement under the rules governing their nature of service. Such person is required to produce a certificate of his/her Head of Department or Competent Authority as to the nature of travelling allowance admissible to him/her; and

(c) for category (C) - fare equal to the fare chargeable by a road transport/state transport bus for a A/C deluxe coach, in addition to the subsequent taxi charges from the nearest bus stand to the concerned court complex as per prevalent rates notified by the Government.

(iii) **Travel by air : -**

(a) for category (A) - no air fare is payable;

(b) for category (B) -- actual travelling expenses as per their entitlement under the rules governing their nature of service. Such person is required to produce a certificate of his/her Head of Department or Competent Authority as to the nature of travelling allowance admissible to him/her; and

(c) for category (C) - No air fare is payable.

(B) **Local Witnesses: -**

(iv) **Travel within city: -**

(a) for category (A) -- Actual auto rickshaw charges as per prevalent rates notified by the Government;

(b) for category (B) -- Actual travelling expenses as per their entitlement under rules governing their nature of service. Such person is required to produce a certificate of his/her Head of Department or Competent Authority as to the nature of travelling allowance admissible to him/her; and

(c) for category (C) – Actual travelling expenses as per the rates prescribed by the Transport Department of National Capital Territory of Delhi for motor car / taxies.

Note 1: If a person has not actually travelled by A/C train or by A/C bus, then the actual expenses incurred shall be reimbursed on production of original ticket or a copy thereof.

Note 2: If a witness has travelled by any other mode of transport incurring less expenditure than that of an auto rickshaw / taxi then only the lesser amount shall stand payable to him.

8. **Overnight staying rates: -**

(a) for category (A)- Rs.750/-per day excepting the first day of appearance of witness in the Court.

(b) for category (B) - (i) Rs. 1,500/- per day for the Gazetted Officers or officers working in the equivalent pay scale excepting the first day of appearance of witness in the Court;

(ii) Rs.750/- per day for other government servants, excepting the first day of appearance of witness in the Court.

(c) for category (C) Rs. 1,500/- per day excepting the first day of appearance of witness in the Court.

Note: For categories (A), (B) and (C) – This amount should be in addition to the other amount which would have become admissible to them had their evidence was to conclude in a single day and they were not required to overstay.

9. **Expenses for diet : -** A witness shall be paid expenses for diet at the following rates, irrespective of category s/he falls in:-

(a) If a witness is detained till before lunch or called to appear in the Court only in post lunch session;	: Rs.50/-
(b) If a witness is detained for post lunch session provided the witness is called to appear in Court in pre-lunch session.	: Rs.100/-

10. **Expenses for police witnesses:** – The actual expenses claimed by the Malkhana Moharrar, as have been certified by the SHO/Additional SHO of the concerned Police Station, before they are ordered to be reimbursed by the Court.

11. **Expenses for retired police officers or other government servants:** – Those witnesses, who appear in the Court after their retirement in connection with the work undertaken by them while they were in government service, may be paid expenses in the same manner as if they were still in government service.

12. **Expenses for minor/disabled's attendant:** – When a minor of a tender age or a disabled person is required to attend the Court as a witness and such a witness cannot safely travel, the attendant who accompanies the minor or the disabled person, may be paid fare as if he was also a witness in the case.

Chapter 4

Miscellaneous

13. **Duty of the Court while making payment of expenses:** – It shall be the duty of the Court that no complainant or witness is put to trouble or inconvenience as to the payment of expenses which s/he is entitled to under these rules. The Court shall ensure that payment vouchers are handed over to the witness in the Court itself soon after their testimony is recorded, without any undue delay.

14. **Liberal exercise of discretion:** – In doubtful cases or in cases where it is not clear as to how much distance, the witness has travelled, the Presiding Officer may use his or her experience or knowledge for making assessment that how much expenses are to be paid to the witness and exercise such discretion liberally.

15. **Payment in advance may be made in appropriate cases, where a witness is asked to overstay:** –Subject to these rules, in appropriate cases, where testimony of witness is in progress and witness is required to overstay, for the continuation of his or her testimony, the Court may make advance payment to such a witness for the next day of his stay.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National
Capital Territory of Delhi,

VIKRANT VAID, Addl. Secy. (Law, Justice & L.A.)

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2015

सं.फा.16(486)/श0वि0/जल/2015/1229—1230.— दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अन्तर्गत दिनांक 30.03.2013 के सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार तथा दिनांक 19.12.2014 के पत्र सं0 3/24(4)/2014—आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से दिल्ली जल बोर्ड में सफाई निरीक्षक, ग्रेड—1 के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यता के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्न भर्ती विनियमों को प्रकाशित किए जाता है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :—**

(1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **सफाई निरीक्षक ग्रेड–1** के पद के भर्ती विनियम, 2015 कहा जाये।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नि है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र **दिल्ली सरकार** का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :– इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	**सफाई निरीक्षक ग्रेड–1**
2.	पदों की संख्या	:	08(2014)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ख"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन समूह–2, 9300–34800/–रुपये (ग्रेड पे 4600/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नही
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	**पदोन्नतिः** (i) पे बैंड–2 में 9300–34800/–रुपये +ग्रेड पे 4200/–रुपये सहित, ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले तथा दिल्ली जल बोर्ड संस्थान में सफाई से संबंधित मामलों में पांच दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सफाई निरीक्षक। **नोट 1**:– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने कनिष्ठ अधिकारी, उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है । **नोट 2**:– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। **प्रतिनियुक्ति** **अल्पकालिक संविदा सहितः–**

			केन्द्रीय/राज्य सरकार/दिल्ली नगर निगम/दिल्ली जल बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्धसरकारी या स्वायत्त निकायों या साविधिक संगठनों के अधिकारी:– (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–2 में 93,00–34,800/–रुपये+ग्रेड पे 4200/–रु0 सहित नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पॉच वर्ष की सेवा सहित। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले। (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सफाई निरीक्षक का डिप्लोमा। (iii) सीवेज निपटान के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। **नोट 1** :– भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **नोट 2** :– (प्रतिनियुक्ति की अृवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है । सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु (अल्पकालिक संविदा सहित) अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी)। **टीप 3**:– प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संरतुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।'
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति पर विचारार्थ)** 1. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक) – अध्यक्ष 2. निदेशक, राजस्व – सदस्य 3. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)– सदस्य 4. सहायक आयुक्त (जी–2)– सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2015

No.F.16 (486)/UD/W/2015/1229-1230.—The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board in exercise of powers conferred by clause (M) of sub-section(2) of Section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998), vide Competent Authority orders dated 30/03/2013 and concurred by the Union Public Service Commission vide their letter No.F3-24(4)-2014-RR dated 19/12/2014 regarding the method of Recruitment and qualification necessary for appointment to the post of Sanitary Inspector,Grade-1 in the Delhi Water Board, Delhi published, namely:-

1. **(i) Short title and commencement:-** These regulations may be called the Recruitment Regulation for the post of Sanitary Inspector Grade-,1 in Delhi Jal Board 2015.

   (ii) They shall came into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

4708 DG/15-3

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.-** The number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.-** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** - Any person,-

(a) who has entered in to or contracted a second marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living , has entered into or contracted marriage with any person;

Shall not be eligible for appointment to any of said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons

6. **Saving** - Nothing of these regulations shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, and Scheduled Tribes, servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct Recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sanitary Inspector Grade-I	08 (2014) *Subject to variation dependent on workload.	Category 'B'	PB-2: Rs. 9300-34,800 plus Grade Pay Rs. 4600/-	Selection	Not Applicable

Educational and other qualification Required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7.	8.	9.	10.
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By promotion failing which by deputation including short -term contract

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making Recruitment.
11.	12.	13.
<u>Promotion</u> Sanitary Inspector in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200/- with Five years regular service in the grade and have undergone Five days	**<u>Category 'B' Departmental promotion committee (for considering promotion):</u>** 1.Director (Admin & Personal)- Chairman 2. Director of Revenue- Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation

training in the matters relating to sanitation in the Delhi Jal Board Institute. **Note1**: Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **NOTE – 2** :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Pay/Pay scale extended Based on the Recommendations of the Pay Commission. **Deputation(Including short term contact):** Officer of the Central/State Govt./MCD/Delhi Jal Board/ UT Administrations/PSUs/ Universities/Recognized Research Institutions/Semi Government or Autonomous bodies or Statutory Organizations: a) (I) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (II) With Five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2, Rs. 9300 -34,800 with Grade Pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent cadre/ department; And b)Possessing the following educational qualification and experience: (I) 12th Pass from a recognized university/ Board; (II) Sanitary Inspector's Diploma from a recognized university/institute; (iii) Three years' experience in the field of sewage disposal. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	3. Superintending Engineer (Civil)- Member 4. Assistant Commissioner (G-2)- Member	(ISTC).

(Period of deputation (ISTC) including period of deputation(ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed Three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note:2:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

R.C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.